राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 742/2008/चित्तौड़गढ़.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स मदन सिंह डांगी, कॉन्ट्रेक्टर, बड़ी सादड़ी, चित्तौड़गढ़. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री राकेश मेहता, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 2/6/2014

निर्णय

यह अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 15/RST/COR/06–07 में पारित किये गये आदेश दिनांक 06.01.2007 के विरूद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 85 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से कर निर्धारण अधिकारी के अधिनियम की धारा 38 सपठित 29(6) व 58 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 13.2.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2000–01 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 13.2.2007 को पारित करते हुए, प्रत्यर्थी द्वारा निष्पादित कार्यों के पेटे दर्शाई गई पंजीकृत खरीद को कम मानते हुए रूपये 1,00,000/– की अपंजीकृत खरीद बढ़ाते हुए, इस पर 12 प्रतिशत की दर से से कर रूपये 12,000/– व 15 प्रतिशत की दर से सरचार्ज रूपये 1800/– का आरोपण किया गया। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी द्वारा आलौच्य अवधि में निष्पादित चार संविदा कार्यों के लिये ई.सी. प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु प्रार्थना–पत्र 6 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किये जाने के कारण नियम 12(2) के तहत प्रत्येक कार्य के लिये शास्ति रूपये 500/– प्रति वर्ष की दर से (500 x 4 x 6), कुल शास्ति रूपये 12,000/– का आरोपण किया गया।

लगातार.....2

प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.10.2007 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए नियम 12(2) के तहत आरोपित शास्ति को रूपये 500/— तक सीमित किया गया तथा अपंजीकृत खरीद के अवधारण पर आरोपित कर व सरचार्ज को अपास्त किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने संविदा कार्यों के 'जी' शिड्यूल के आधार पर प्रयुक्त सामग्री के आधार पर अपंजीकृत व्यवहारियों से खरीद का निर्धारण कर, कर व ब्याज विधिसम्मत रूप से आरोपित किया गया था, जिसे अपीलीय अधिकारी ने अपास्त कर विधिक भूल की है। अग्रिम कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा संविदा कार्यों के कार्यादेश मिलने के 6 वर्ष पश्चात प्रशमन शुल्क निर्धारण हेतु आवेदन प्रस्तुत किये थे, जिस पर नियम 12(2) के तहत प्रति कार्यादेश रूपये 500/— प्रतिवर्ष विहित होते हुए भी अपीलीय अधिकारी ने केवल रूपये 500/— शास्ति यथावत रखकर शेष 11500/— अपास्त कर विधिक भूल की है। अतः अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपंजीकृत खरीद का अवधारण करने से पूर्व व्यवहारी को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया था, इसलिए अपीलीय अधिकारी ने अपंजीकृत करारोपण व ब्याज को अपास्त कर कोई विधिक भूल नहीं की है। यह भी कथन किया कि ई.सी. शुल्क आवेदन देरी हेतु केवल रूपये 500/— शास्ति के प्रावधान हैं, इसलिए अपीलीय अधिकारी द्वारा शेष शास्ति अपास्त कर उचित आदेश पारित किया है।

उक्त आधार पर अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने अपंजीकृत खरीद अवधारण से पूर्व प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है, साथ ही पत्रावली पर 'जी' शिड्यूल के आधार पर अपंजीकृत खरीद निर्धारण के साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। कर बोर्ड का निरंतर यह मत रहा है कि करयोग्य आवृत में वृद्धि व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर किया जाना अविधिक है। अतः इस बिन्दु पर अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाकर अपील अस्वीकार की जाती है।

लगातार.....3

प्रत्यर्थी के वर्ष 2000–01 में कुल 4 कार्यादेश प्राप्त हुए हैं। करमुक्ति शुल्क हेतु नियम 12 अनुसार कार्यादेश विहित अवधि में प्रस्तुत किये जाने चाहिए। विलम्ब से प्राप्त आवेदनों में देरी माफी हेतु नियम 12(2) के प्रावधान अनुसार प्रतिवर्ष रूपये 500/– व उसके भाग में विलम्ब शुल्क का प्रावधान था। नियम 12 के सुसंगत उपनियम (1) व (2) को उद्धरित करना समीचीन होगा –

12. Option to works contractors to seek exemption from tax.-

(1) In the case of a works contract relating to buildings, bridges, dams, roads and canals or any other work as notified by the State Government, where a contractor opts for exemption from tax, he shall make an application to his assessing authority in form St 1 for grant of a certificate of exemption from tax within sixty days from the date of award of the contract.

(2) Where an application under sub-rule (1) is filed beyond the prescribed period, the assessing authority may on sufficient grounds condone the delay on payment of a late fee of rupees five hundred for a year or part thereof.

अपीलीय अधिकारी ने सभी संविदाओं के लिये केवल एक वर्ष के लिये रूपये 500/– को उचित ठहराकर विधिक भूल की है। प्रत्यर्थी को प्रत्येक कार्य संविदा के लिये करमुक्ति हेतु अलग–अलग आवेदन कार्य संविदा जारी तिथि के 60 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने चाहिये थे। उप–नियम (2) के तहत प्रति वर्ष या उसके भाग के लिये विलम्ब शुल्क रूपये 500/– के प्रावधान अनुसार 4 कार्य संविदाओं के आवेदन 6 वर्ष देरी से प्रस्तुत होने के कारण रूपये 12,000/– विलम्ब शुल्क का कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपण विधि अनुकूल किया गया था। अतः इस बिन्दु पर अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश अपास्त किया जाता है।

परिणामस्वरूप राजस्व की अपील आंशिक रूप से अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
02/08/14